संख्या-827/2018/1288/22-2-2018-17(69)/2018

प्रेषक,

अमर सेन सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 24 अक्टूबर, 2018***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी संजय कुमार सिंह पुत्र श्री रामबचन सिंह, निवासी जनपद- कैमूर (भभुआ) बिहार की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-25515/प्रोबेशन-3/फार्म-ए/(एम-09.07.2018) दिनांक 17.07.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी संजय कुमार सिंह पुत्र श्री रामबचन सिंह, जो- समहुता,थाना- मोहनिया, जनपद- कैमूर (भभुआ) बिहार का रहने वाला है। बन्दी ने दिनांक 04.04.1999 को 13 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचे से गोली मारकर सूर्यनारायण उर्फ वकील शुक्ला, देवीशंकर दूबे एवं शेषमणि की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-162/2000 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 148, 147 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट्र ट्रैक) कोर्ट नं0-1, भदोही (ज्ञानपुर) के आदेश दिनांक 24.04.2004 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायाल के आदेश दिनांक 28.01.2005 तथा मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 12.10.2007 द्वारा अपील को निरस्त करते हुए आजीवन कारावास की सजा को बहाल रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 06.06.2018 तक 15 वर्ष 02 माह 24 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष 11 माह 08 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है लेकिन प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी ने दिनांक 04.04.1999 को 13 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचे से गोली मारकर सूर्यनारायण उर्फ वकील शुक्ला, देवीशंकर दूबे एवं शेषमणि नामक व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की आयु 50 वर्ष, 06 माह लगभग है तथा शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ है। बन्दी के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

भविष्य में अपराध करने में अशक्त न होने की पुष्टि पुलिस अधीक्षक ने 05 बिन्दुओं की आख्या में की है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी संजय कुमार सिंह पुत्र श्री रामबचन सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी संजय कुमार सिंह (बन्दी संख्या-47978) पुत्र श्री रामबचन सिंह, निवासी जनपद- कैमूर (भभुआ) बिहार के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

अमर सेन सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-827/2018/1288(1)/22-2-2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, कैमूर (भभुआ) बिहार।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, बरेली।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश सख्या-827/2018/1288/22-2-2018-17(69)/2018

दिनांक 24 अक्टूबर, 2018 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी संजय कुमार सिंह पुत्र श्री रामबचन सिंह, जो- समहुता,थाना- मोहनिया, जनपद- कैमूर (भभुआ) बिहार का रहने वाला है। बन्दी ने दिनांक 04.04.1999 को 13 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचे से गोली मारकर सूर्यनारायण उर्फ वकील शुक्ला, देवीशंकर दूबे एवं शेषमणि की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-162/2000 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 148, 147 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट्र ट्रैक) कोर्ट नं0-1, भदोही (ज्ञानपुर) के आदेश दिनांक 24.04.2004 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायाल के आदेश दिनांक 28.01.2005 तथा मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 12.10.2007 द्वारा अपील को निरस्त करते हुए आजीवन कारावास की सजा को बहाल रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 06.06.2018 तक 15 वर्ष 02 माह 24 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष 11 माह 08 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है लेकिन प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी ने दिनांक 04.04.1999 को 13 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचे से गोली मारकर सूर्यनारायण उर्फ वकील शुक्ला, देवीशंकर दूबे एवं शेषमणि नामक व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की आयु 50 वर्ष, 06 माह लगभग है तथा शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ है। बन्दी के भविष्य में अपराध करने में अशक्त न होने की पुष्टि पुलिस अधीक्षक ने 05 बिन्दुओं की आख्या में की है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी संजय कुमार सिंह पुत्र श्री रामबचन सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

अमर सेन सिंह

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in